10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

विलोपित

(33)

न्यायालय, माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 2018 निगरानी - 2809/2018/श्योपुर/भू.रा.

1—मुकेशी पत्नी भूरा आयु 30 साल जाति रावत धंधा खेती निवासी ग्राम बलाबनी तहसील बीरपुर जिला श्योपुर म0प्र0

2—मुकेशी पत्नी भीष्म आयु 31 साल जाति रावत धंधा खेती निवासी ग्राम बलाबनी तहसील बीरपुर जिला श्योपुर म0प्र0

.....निगरानीकर्तागण

श्री राम नरेश दौनेरिया द्वारा आज दि. 8.5.18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 22-5-18 नियत।

रीडर ऑफ कोर्ट 8.5.18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर जिला श्योपुर म0प्र0 ....अनावेदक

Noted

निगरानी विरूद्ध प्र0क0 5/16–17 स्व0 निगरानी अपर कलेक्टर महोदय श्योपुर मे पारित आदेश दिनांक 26.2.18 के विरूद्ध।

निगरानी अन्तर्गत म0प्र0भूराजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन निम्नानुसार प्रस्तुत है–

महोदय,

1— सेवा में निवेदन है कि प्रार्थीया आवेदिका मुकेश पत्नी भूरा जाति रावत ग्राम बलाबनी तहसील विजयपुर की आराजी नम्बर 93/2 मिन 9क रकवा 9 बीघा (1.881 हे0) का न्यायालय तहसीलदार महोदय विजयपुर द्वारा भूमिहीन की हैसियत से पिछडा वर्ग की महिला होने से न्यायालय तहसील विजयपुर के प्र0क0 14/2005–06/अ–19 आदेश दिनांक 27.4.2006 को भूमिहीन की हैसियत से भूमिस्वामी स्वत्व पर पटटा प्रदान किया गया था।

2— यह कि इसी प्रकार आवेदिका मुकेशी पत्नी भीष्म जाति रावत (पिछडा वर्ग) ग्राम भूडेरी मौजा बलाबनी की आराजी नम्वर सर्वे क0 13/2 मिन 1ख रकवा 1.881 हे0 भूमि का तहसील विजयपुर जिला श्योपुर के प्र0क0 14/2005–06/अ–19 मे पारित आदेश दिनांक 27.4.06 से पटटा प्रदान किया गया था। आवेदिकागण को भूमिस्वामी स्वत्व का पटटा मौके पर कब्जा सुपुर्द कर प्रदान किया था।

चि.वा मुकेशी w/o भीष्म

3— यह कि पटटा प्राप्त के दिनांक से आवेदिकागण ने अपनी मेहनत मजदूरी से उक्त भूमि को खेती योग्य बनाया है तथा जहां ऊँची नीची थी उसको समतल

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2809/2018/भूरा जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा कों आदि के हस्ताक्षर
6.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुरेश कुशवह उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिबक्ता द्वारा कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 05/2016–17/स्व0 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26/02/18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 **अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना**	